(घ) यदि हां, तो सरकार देश में शहरी और ग्रामीण लोगों को बिना किसी भेदभाव के कब तक एल०पी०जी० का आबंटन शुरू करने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (घ) शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने के लिए आवास के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है ।

उत्पाद की कमी के कारण फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप चरणबद्ध ढंग से व्यवहार्यता की शर्त पर केवल उन शहरी क्षेत्रों में खोली जाती हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 और अधिक हो । सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरक अपने विपणन क्षेत्र में रहने वाले ग्राहकों के नाम दर्ज करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन केवल संसद सदस्यों की सिफारिश पर दिए जाते हैं । ये ग्रामीण क्षेत्र उन शहरी क्षेत्रों के आस पास के पर्वतीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां अव्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के कार्यक्षेत्र का विस्तार उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए किया जाता है । फिलहाल उत्पाद की कमी के कारण गांवों में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना संभव नहीं है । परन्तु सरकार ने तेल कंपनियों को लगभग 20,000 अथवा कम की जनसंख्या वाले शहरों में नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की व्यवहार्यता बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल करने के अनुदेश दिए हैं । सरकार ने निजी एजेंसियों को समांतर विपणन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपनी पसंद के किसी भी बाजार में बाजार निर्धारित मूल्यों पर एल०पी०जी० की बिक्री की अनुमति भी दे दी है ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये पेट्रोल पंपों का आबंटन

1389. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान हाल ही में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पेट्रोल पम्पों के कितने विज्ञापन जारी किये गये ;

(ख) इसमें से किन किन आवेदकों को, जिलेवार ये पेट्रोल पम्प आबंटित किए गये ; और

(ग) ऐसे आबंटनों के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से ग) 4 जनवरी, 93 से 31 दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 51 खुदरा बिक्री केन्द्रों के विज्ञापन जारी किए गए थे। उपर्युक्त में से विभिन्न जिलों में 38 स्थानों के लिए आशयपत्र जारी किए गए हैं ।

तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद तेल चयन बोर्ड की सिफारिशों पर संबद्ध तेल कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन किया जाता है ।

Relaxation in the criteria- for LPG distributor agencies in bill areas

1390. SHRI RATNABAHADUR RAI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for making certain relaxation in the criteria meant for the LPG distributor agencies keeping the topographical constraints in hill areas;

(b) ii so, the details thereof; and